न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ओ0पी0 सहारण आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 56 / 17

तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

----- प्रार्थी

बनाम

1. श्री ओमप्रकाश ।
2. श्री महावीर प्रसाद । पिसरान सूखा
3. श्री ज्ञानचन्द । कौम वैश्य
4. श्री हरीचन्द । साकिन मनियां
5. श्री भैयालाल ।
6. श्री दिनेश चन्द पुत्र नैमीचन्द कौम जैन सा0 मनियां
7. श्री मुन्नालाल पुत्र नत्थीलाल कौम जैन निवासी मनियां

----- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

दिनांक – 24.05.18

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 525 / 198 रकवा 14 विश्वा व 527 / 198 रकवा 19 विश्वा किस्म बा.दो. बाके ग्राम लाडमपुर तहसील धौलपुर अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी को काश्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज0 सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी ने अपने अधिकारों का उल्लंघन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थीगण ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एवं बिना अनुमति के विवादित आराजी पर वर्धमान विद्यालय व दुकानें स्थापित कर दिया है जो कानूनी रूप से अवैद्य है तथा अप्रार्थी के बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि का अकृषि प्रयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थी विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत विरोंधा में पेश हुयी। अप्रार्थी एवं प्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार धौलपुर उपस्थित आये। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण ने बिना सक्षम स्वीकृति के अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में विद्यालय एवं दुकानें स्थापित कर अकृषि कार्य किया जा चुका है। अप्रार्थीगण को सूचना के बावजूद भी उनके द्वारा सम्परिवर्तन नहीं कराया गया है। अतः भूमि को आरटीए की धारा 177 के अन्तर्गत सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जावें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 197 व 198 पर राजस्व मण्डल में केश चल रहा है जिसके कारण आराजी का बटवारा नहीं हो पा रहा है। बटवारा नहीं होने के कारण कनवर्जन भी नहीं हो पा रहा है। केश का निर्णय होते ही कनवर्जन करा लिया जावेगा। प्रार्थी के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन अपील की छाया प्रति पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नकल जमावन्दी सम्वत् 2072–75 ग्राम सीयपुरा के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 525/198 व 527/198 पर अप्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं। पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार इस आराजी में गैर कृषि कार्य ढावा संचालित किया जा रहा है। रिपोर्ट पटवारी वर्ष 2017 की है।

उपरोक्तानुसार रिपोर्ट पटवारी के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 525/198 व 527/198 ग्राम लाडमपुर के खातेदार काश्तकार द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी नियमों का उल्लंघन है व अप्रार्थी को इसका कोई हक प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी के द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त आराजी पर माननीय राजस्व मण्डल में केश चल रहा है जिसके निर्णय के पश्चात ही कनवर्जन कराया जा सकेगा। अप्रार्थी के द्वारा अपील की छाया प्रति भी पेश की गयी है। अतः हम प्रकरण को तहसीलदार धौलपुर को वापस भेज कर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा रूपान्तरण की कार्यवाही नहीं कराने पर पुनः कार्यवाही कराना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार धौलपुर को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 525/198 रकवा 14 विश्वा एवं 527/198 रकवा 19 विश्वा ग्राम लाडमपुर तहसील धौलपुर का माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन प्रकरण के निर्णय उपरान्त पुनः जांच करायी जाकर तदनुसार प्रकरण पुनः पेश करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत हिनौता में सुनाया गया।

(ओ0पी0 सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

Scanned by CamScanner